अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 4/2015-सेवा कर

सा0का0नि0 (अ).-- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 31/2012-सेवाकर, तारीख 20 जून, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 473(अ), तारीख 20 जून, 2012 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 1 के सामने, स्तंभ 2 में, "पत्तन या विमानपत्तन" शब्द के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं "पत्तन, विमानपत्तन या भू-सीमाशुल्क स्टेशन" शब्द रखे जाएंगे ।

2. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से लागू होंगे ।

[फा0सं0 334/5/2015-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 31/2012-सेवाकर, तारीख 20 जून, 2012, सा.का.नि. 473(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।